मसाले व मसाले उत्पादों के परेषण के नमूनन
और कंटेनर स्टफिंग के पर्यवेक्षण
के लिए निविदा
(एम एस टी सी ई-टेंटर नं.- स्पाइसबी /19-20/ईटी/1)

1. परिचय

स्पाइसेस बोर्ड, पूर्ववर्ती इलायची बोर्ड (1968) और मसाला निर्यात संवर्धन परिषद(1960) के विलयन के साथ मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 (1986 की संख्या 10) के तहत 26 फरवरी, 1987 को गठित वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (भारत सरकार) के अधीन का एक स्वायत्त निकाय है। स्पाइसेस बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन प्रवृत्त पाँच वस्तु बोर्डों में से एक है। यह, भारत से मसालों व मसाले उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के अधिदेश के साथ 52 अनुसूचित मसालों के निर्यात संवर्धन तथा इलायची(छोटी व बड़ी) के विकास केलिए जिम्मेदार एक स्वायत्त निकाय है। देशभर के विभिन्न उत्पाद केन्द्रों में उत्पादित मसालों की गुणवत्ता के मूल्यांकन केलिए, भारत से निर्यातित मसाले और मसाले उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच केलिए और निर्यातकों, व्यापारियों, किसानों, अनुसंधान संगठनों आदि जैसे मसाला क्षेत्र के पणधारियों को विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान करने केलिए वर्ष 1990 में, कोच्ची में बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला की स्थापना की गई। गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं ने, अवधि के दौरान, इप्रोबेनफोस, प्रोफेनोफोस, ट्राइयज़ोफोस, एथीयोन, फोरेट, पराथियोन, क्लोरपाइरीफोस और मीथाइल पाराथियोन जैसे नाशीजीवनाशी अवशेषों केलिए भारत से जापान केलिए निर्यातित मिर्च, जीरा, हल्दी, कालीमिर्च, मेथी तथा छोटी इलायची के साबुत और पीसे हुए रूप (तेल व तैलीराल को छोड़कर) जैसे मसाले व मसाला उत्पादों की अनिवार्य जांच भी की है।

2. निविदा विषय

आईएसओ/आई ई सी 17025: 2017 (खंड-7.3 सहित, नमूनन) के तहत प्रत्यायन और/या आईएसओ 9001: 2015 प्रणालियों के तहत प्रमाणन सहित मान्यता प्राप्त सर्वेक्षकों से निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। बोलीदाता को इस निविदा सूचना में दिए गए नमूनन प्रक्रिया और निबंधन व शर्तों के अनुसार, निर्यातकों द्वारा निर्यात के लिए मसालों और मसाला उत्पादों का नमूनन और कंटेनर भराई पर्यवेक्षण करना है।

3. निविदा का दायरा :

1. जिन मदों का नमूनन किया जाना है, निर्यातक, उनका विवरण सहित निर्धारित सूचना ऑन-लाइन निर्यात समर्थन प्रणाली [ई एस एस-एक्सपोर्ट सपोर्ट सिस्टम] द्वारा भेजेगा। संप्रति मिर्च एवं उससे संबद्ध उत्पाद करी पाउडर, मसाले, अचार, करी पेस्ट आदि, हल्दी पाउडर, मिसरी लेपित बड़ी सौंफ बीज, जायफल व जायफल उत्पाद, अदरक, करी पत्ता, हल्दी, जावित्री(मेस), इलायची, (काली)कालीमिर्च, मेथी

और जीरा एफ़्लाटोक्सिन, सुड़ान I-IV डाई, नाशकजीवनाशी अवशेष, सनसेट येलो जैसे रासायनिक पैरामीटरों तथा अन्य बीज/बाहरी पदार्थ जैसे भौतिक पैरामीटरों की अनिवार्य जांचवाली मदें हैं। सूक्ष्मजीवविज्ञान में यू एस ए को निर्यात किए जाने वाले मिर्च व मिर्च उत्पाद, जीरा साबुत/पीसा और पेस्ट सहित मसालों के सभी मिश्रित रूपों के परेषण में उनका अनिवार्य नमूनन और सालमोनेला की जांच शामिल की गई है।

2. निर्यातकों से ऑन-लाइन सूचना प्राप्त होने पर, बोर्ड नमूनन/स्टफ़िंग कार्य केलिए (ई एस एस) ऑन-लाइन के ज़रिए प्राधिकृत एजेंसियों को नमूनन/स्टफ़िंग कार्य सौंप देगा।

3. ऑन-लाइन सूचना के आधार पर, सौंपे गए कार्य को स्वीकार करना पड़ता है और उसको स्पाइसेस बोर्ड द्वारा अपनाए जाने वाले नमूनन प्रतिमानकों के अनुसार भौतिक रूप से नमूनों को निकालते हुए निर्धारित स्थान, तिथि और समय पर सर्वेक्षकों द्वारा चलाया जाना चाहिए। नमूनन या कंटेनर स्टफिंग केलिए सौंपे गए कार्य में लगने के पहले प्राधिकृत नमूनन- व्यक्ति को निर्यातकों के साथ नमूनन/स्टफिंग स्थान व समय की पुष्टि करनी होगी ताकि बेकार दौरे से बच जाएँ। प्राधिकृत एजेंसी बेकार दौरों केलिए दावा नहीं कर सकती।

4. विनिर्दिष्ट विश्लेषणात्मक चार्ज, **रेखित डिमांड ड्राफ्ट /इ-भुगतान** के ज़रिए संबंधित निर्यातक से अपेक्षित मसाला-विश्लेषण के सत्यापन पर संगृहीत किया जाना है। डिमांड ड्राफ्ट के मामले में, उसको बोर्ड के संबंधित प्रादेशिक कार्यालयों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए और इ-भुगतान के मामले में यू टी आर संख्या, भुगतान की तिथि और रकम के बारे में कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए। ई यू नमूनन विनियम ई सी सं.401/2006 या आई एस ओ 948:1980 या यू एस एफ डी ए बी ए एम अध्याय 1 के अनुसार सर्वेक्षक/कों द्वारा नमूनन कार्य चलाया जाना है। नमूनन एजेंसी द्वारा नमूनन के औज़ार जैसे कि स्मार्ट फोन, स्कूप, स्माल बैलन्स, चाकू, प्लास्टिक शीट, टैग, स्टेराइल बैग, थ्रेड आदि और ग्लाउस, सेफ़्टी शू, गोगिल्स, मैस्क आदि वैयक्तिक संरक्षात्मक उपकरण सर्वेक्षकों को उपलब्ध कराया जाना है। नमूनन एजेंसी को, सौंपे गए कार्य के नमूनन कार्य को ऑन-लाइन निर्यात समर्थन प्रणाली (ई एस एस) में/मोबाइल एप का इस्तेमाल करते हुए अद्यतन बनाया जाना है और एजेंसी द्वारा निकाले गए नमूनों के साथ बोर्ड के संबंधित कार्यालय के नमूनन प्राप्ति डेस्क(एस आर डी) को उसका प्रिंट आउट प्रस्तुत करना है। सभी सर्वेक्षकों केलिए यह ज़रूरी है कि वे ड्यूटी करते समय अपना पहचान कार्ड पहनें। प्रणाली का सही मानीटरिंग केलिए दैनिक आधार पर ई एस एस में उपलब्ध विकल्प

में नमूनन व स्टफ़िंग की प्रक्रिया के फ़ोटो अपलोड किए जाने चाहिए। प्लास्टिक के बदले जैव-अवकर्षित पैकिंग सामग्रियों का उपयोग किया जाएगा।

5. विवरण के साथ भुगतान संबंधी लिखत की रास्ते में खराबी यदि कोई हो, तो उससे बचाने केलिए अलग लिफाफे में भेजा जाना चाहिए। नमूने को अविकल और अपूतिक भेजने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे निकाला गया हो, नमूना उसी दिन नहीं तो, अगले दिन सुबह 10.00 बजे तक स्पाइसेस बोर्ड के नामोद्दिष्ट गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला/नमूना प्राप्ति डेस्क (एस आर डी) को सूचनार्थ प्रति के साथ, दो प्रतियों में, नमूनन रिपोर्ट सहित सर्वेक्षण के मुद्रित मोहरबंद लिफाफे में हस्तांतरित किया जाना चाहिए।
6. सालमोनेला-विश्लेषण के नमूने सर्वेक्षक के मुद्रित लिफाफे में डालने के पहले विसंक्रमित नमूना बैगों में पैक किए जाएंगे, जो अपूतिक और मुहरबंद हो।
7. नमूनन के बाद, प्राधिकृत एजेंसी को परेषण की रिपोर्ट/टैग के वितरण के साथ निर्यात केलिए नमूनित परेषण के लॉट को ढ़ेर लगाकर मुद्रित करना है। एजेंसी को निर्यात परेषण के स्टफिंग के दौरान यह सुनिश्चित करना है कि ढेर और मोहर बरकरार हो। लॉट ढेर लगाकर मुद्रित करनेवाला फ़ोटो, मेइल या वाट्सअप द्वारा नामोद्दिष्ट एस आर डी/संबंधित प्रादेशिक कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
8. विभिन्न क्षेत्रों से प्रति माह प्राप्त होने वाले नमूनों की संख्या लगभग निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	क्षेत्र	नमूनों की संख्या (लगभग)
1	केरल और कर्नाटक (सहित)	700
2	तमिलनाडु और पांडिचेरी (सहित)	2000
3	महाराष्ट्र ,मध्यप्रदेश और गोआ (सहित)	1015
4	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (सहित)	300
5	पश्चिम बंगाल, ओड़ीषा और उत्तर पूर्व (सहित)	300
6	गुजरात और राजस्थान(सहित)	400
7	दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, जम्मू व कश्मीर(सहित)	50

नोट: ऊपर सूचित नमूनों की संख्या में प्रति महीना बदलाव हो सकता है।

9. दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र के विनिर्दिष्ट राष्ट्रों को साबुत मिर्च के निर्यात के मामले में, महासागर कंटेनर / रेलवे वैगन / ट्रक जैसाकि मामला हो, में लदान के दौरान, स्पाइसेस बोर्ड द्वारा जारी "नमूना निकाला प्रमाणपत्र" जारी करते हुए नमूना निकाला जा सकता है। इस मामले में अलग से कंटेनर स्टफिंग पर्यवेक्षण अपेक्षित नहीं, चूंकि ऐसे मामलों में नमूना कंटेनर / ट्रकों में लदान के दौरान निकाला जाता है।

10. प्रयोगशाला से विश्लेषणात्मक रिपोर्ट की प्राप्ति पर, नमूना प्राप्ति डेस्क ई एस एस में विश्लेषण का परिणाम (अनुमत/अननुमत) अद्यतन बनाएगा। अनुमत परिणाम के आधार पर, निर्यातक ऑन-लाइन के माध्यम से सर्वेक्षकों को कंटेनर स्टफिंग केलिए अनुदेश भेजेगा, जिसको नामोद्दिष्ट एजेंसी द्वारा स्वीकार किया जाना होगा। स्टफिंग पर्यवेक्षण केलिए जाने से पहले सर्वेक्षक को बोर्ड से असली विश्लेषणात्मक रिपोर्ट संगृहीत करनी है। स्टफिंग के वस्तुगत पर्यवेक्षण के उपरांत, कंटेनर संख्या, सीमाशुल्क मोहर संख्या व स्टफिंग की तारीख आदि का उल्लेख करते हुए निर्यातक को विश्लेषणात्मक रिपोर्ट हस्तांतरित की जानी चाहिए। निर्धारित प्रपत्र में स्टफ़िंग रिपोर्ट की प्रति, स्टफ़िंग पर्यवेक्षण के अगले दिनों में बोर्ड के संबंधित प्रादेशिक कार्यालय को प्रस्तुत की जानी है।

11. स्पाइसेस बोर्ड द्वारा निर्यात केलिए जारी की गई " अनुमत विश्लेषणात्मक रिपोर्ट " के आधार पर ही अनिवार्य मसाला मदों (दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को साबुत मिर्च को छोड़कर) का कंटेनर स्टफिंग पर्यवेक्षण किया जाएगा। बोर्ड की प्रयोगशाला से अनुमत विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्राप्त न होने पर जीरा बीज के निर्यात केलिए निर्यातक को अनुमति दी जाती है, बशर्तेकि निर्धारित प्रपत्र के अनुसार अपने आधिकारिक पत्रशीर्ष में वचनपत्र की प्रस्तुति हो।

12. कंटेनर / रेलवे वैगन / ट्रक, जो भी हो, में स्टफिंग पूरा होने पर सर्वेक्षक द्वारा उसी दिन निर्धारित प्रपत्र में ऑन-लाइन के ज़रिए (ई एस एस) स्पाइसेस बोर्ड को स्टफिंग पर्यवेक्षण रिपोर्ट भेजी जाएगी।

13. स्टेशनों में स्थित नामोद्दिष्ट प्रयोगशाला / स्पाइसेस बोर्ड के कार्यालय को नमूना भेजने केलिए असली कोरियर बिल से समर्थित कोरियर चार्ज का भुगतान संबंधित अधिकारी की सिफ़ारिश के अनुसार किया जाएगा। जैसे लागू हो, सेवा-कर का भुगतान अलग से किया जाएगा।

14. बोर्ड के संबंधित कार्यालय से 50 कि.मी. के परे पार की गई दूरी केलिए वास्तविक आधार पर या बोर्ड द्वारा तय की गई दर में परिवहन-चार्ज का अलग से भुगतान किया जाएगा। एजेंसी मासिक तौर पर स्पाइसेस बोर्ड के संबंधित प्रादेशिक कार्यालय को पर्चियाँ प्रस्तुत करेगी। पर्चियाँ / बीजक दो फॉर्मैट में होंगे, नामत: क)

नमूनन/स्टफिंग दर और लागू सेवा-कर सहित, ख) परिवहन व कोरियर चार्ज डेबिट नोट में। भुगतान करते समय नमूनन व स्टफिंग चार्ज पर लागू टी डी एस की कटौती बोर्ड द्वारा की जाएगी।

15. किसी खास बीजक के, प्रति निर्यातक प्रति गंतव्य 25 मीटरी टन या उससे कम एक ही मसाला उत्पाद को "लॉट" कहा जाता है। उसी परेषण का प्रत्येक अतिरिक्त 25 एम टी नमूना श्रेणी आधार पर अतिरिक्त लॉट माना जाएगा। अगर एक ही मसाला उत्पाद के मिश्रित नमूने लिए जाते हैं, उसको केवल एक नमूना ही माना जाएगा। जिस नमूने की तीन सेट लेनी पड़ती हैं, उनमें से दो सेट स्पाइसेस बोर्ड को और एक सेट संबंधित निर्यातक को भेजना जरूरी है।

16. स्टफिंग लॉट के अनुसार होगा। स्टफिंग के पर्यवेक्षण के मामले में, यदि एक ही कंटेनर(एल सी एल) में एक से अधिक निर्यातक का परेषण होता है तो केवल एक स्टफिंग के पर्यवेक्षण शुल्क केलिए ही हकदार होंगे। उसी प्रकार, एक ही निर्यातक के विभिन्न तारीखों में नमूनन किए गए परेषणों को एक ही कंटेनर में स्टफिंग की है तो उसे एक ही लॉट के रूप में माना जाएगा। स्टफिंग- रिपोर्ट ऑनलाइन (ईएसएस)के ज़रिए स्पाइसेस बोर्ड के संबन्धित प्रादेशिक कार्यालय को भेज दी जाएगी।

4. योग्यता मानदंड

1. निविदा के प्रकाशन के समय आवेदन केंद्र कम-से-कम तीन वित्तीय वर्षों में प्रचालन में होना चाहिए (इसकेलिए दस्तावेजी प्रमाण संलग्न करें)
2. प्रतिभागी फ़र्म, एक रजिस्ट्रीकृत साझेदारी फ़र्म या प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड कंपनी होना चाहिए।
3. वार्षिक कुलबिक्री : एजेंसी की वार्षिक कुलबिक्री एक करोड़ रुपए से अधिक होनी चाहिए। पिछले तीन मूल्यांकन वर्षों (अर्थात् वर्ष 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19) के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा (सी ए द्वारा प्रमाणित) की प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए ।
4. एजेंसी को ग्राहक के रूप में कम से कम एक सरकारी संगठन सहित कम से कम पांच ग्राहकों के साथ नमूनन के काम में न्यूनतम तीन साल का अनुभव होना चाहिए। कार्य अनुभव का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
5. बोलीदाता को पी ए एन तथा जी एस टी नंबर होना चाहिए।

6. प्रमाणन अपेक्षाओं केलिए धारा 2 पैरा 1 देखें।
7. बोर्ड, नमूनन के निर्धारित तरीके में फ़र्म के अनुभव के प्रमाणन के दस्तावेज़ों से रहित बोलियों का तिरस्कार करने का अधिकार रखता है। **ई-निविदा प्रस्तुत करते समय योग्यता मानदंड के प्रमाण के समर्थक दस्तावेज़ों को अपलोड किया जाना होगा।**

5. अन्य अपेक्षाएं

1. फील्ड स्टाफ की योग्यता विज्ञान में प्लस टू/ हायर सेकेंडरी में, कम से कम उत्तीर्ण होना है।
2. क्षेत्र स्टाफ को नमूनन और स्टफिंग के काम सौंपने से पहले प्राधिकृत एजेंसी द्वारा बोर्ड को सत्यापन केलिए उनके नाम, फोटोग्राफ, योग्यता के प्रमाण में प्रमाणपत्र और आई डी कार्ड(आधार/मतदाता आई डी) की प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए। एजेंसी नमूनन/भराई के पर्यवेक्षण केलिए क्षेत्र स्टाफ को पहचान पत्र भी जारी करेगी। एजेंसी द्वारा बोर्ड के संबन्धित कार्यालय से नमूनन/भराई केलिए प्राधिकरण प्रमाण पत्र एकत्रित किया जाएगा। नमूनन/भराई के पर्यवेक्षण केलिए लगाए जानेवाले क्षेत्र स्टाफ को पहचान पत्र और प्राधिकार पत्र को अपने पास रखने होंगे।
3. नमूनन/भराई एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना है कि अपने क्षेत्र स्टाफ को संबन्धित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। नमूनन एजेंसियों द्वारा किसी प्रकार के श्रम नियमों और वैधानिक आवश्यकताओं के उल्लंघन केलिए बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा। यदि पर्यवेक्षक नमूनन/ भराई केलिए किसी नए क्षेत्र स्टाफ को नियुक्त करता है तो एजेंसी द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता सुनिश्चित की जानी चाहिए और पैरा- 21 में बताई गई अपेक्षाओं के अलावा, उनको मास्टर प्रशिक्षु के जरिए या स्पाइसेस बोर्ड द्वारा पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। वैसे, क्षेत्र स्टाफ को बार बार बदलना स्पाइसेस बोर्ड के हित के खिलाफ है और पर्यवेक्षक द्वारा जहां तक हो सके, इससे बचकर रहना है।

इसके अलावा, एजेंसी द्वारा इस कार्य में लगे हुए सभी सैंप्लेर्स (प्रतिचयकों)और पर्यवेक्षकों को बीमा सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए । प्राधिकृत नमूनन एजेंसी को क्षेत्र पर्यवेक्षकों केलिए लिए गए बीमा कवरेज के प्रकार का विवरण देना होगा।

4. एजेंसी को सभी प्रकार की वैधानिक अपेक्षाओं को पूरा करना होगा।
5. नमूना लेने वालों और पर्यवेक्षकों को ऑनलाइन/इ-मेइल और मोबाइल एप्लिकेशन के ज़रिए नमूनन व स्टफिंग रिपोर्टों को अद्यतन करने तथा ऑनलाइन से ही

प्रयोगशाला रिपोर्टों व दस्तावेज़ों को प्रदान करने का ज्ञान व कौशल होना चाहिए। एजेंसी को, प्रत्येक क्षेत्र में, जहां पर एजेंसी कोट करने का इरादा रखता है, कम-से-कम 250 वर्ग फीट क्षेत्रफलवाले खुद के/तीन वर्ष केलिए पट्टे पर लिए हुए कार्यालय-क्षेत्र, इन्टरनेट सहित लैपटाप/कम्प्यूटर, प्रिन्टर, स्कैनर, सर्वेक्षकों केलिए स्मार्ट फोन आदि के साथ आई टी अवसंरचना सहित पर्याप्त अवसंरचना सुविधाएं होनी चाहिए।

6. कोट की गई दर दो वर्ष की अवधि केलिए वैध रहेगी। एक क्षेत्र केलिए चुनी गई एजेंसी को दो सालों केलिए वैध सुरक्षा जमा के रूप में नीचे दिखाई गई राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।

क्रम सं.	**क्षेत्र**	**स्पाइसेस बोर्ड प्रयोगशालाएं**	**बैंक गारंटी राशि** *
1	केरल व कर्नाटक (सहित)	गु.मू.प्र. कोच्ची / गु.मू.प्र. तूतिकोरिन	3 लाख
2	तमिल नाडु व पॉण्डिचेरी (सहित)	गु.मू.प्र. चेन्नई / गु.मू.प्र. तूतिकोरिन	3 लाख
3	महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा (सहित)	गु.मू.प्र. मुंबई	3 लाख
4	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (सहित)	गु.मू.प्र. गुंटूर	2 लाख
5	पश्चिम बंगाल, ओड़ीषा और उत्तर पूर्व (सहित)	गु.मू.प्र. कोलकोत्ता	2 लाख
6	गुजरात और राजस्थान (सहित)	गु.मू.प्र. काण्डला	2 लाख
7	दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, जम्मू व कश्मीर (सहित)	गु.मू.प्र. नरेला	1 लाख

* **पिछले वर्ष के दौरान लिए गए नमूनों की संख्या के आधार पर यह राशि निर्धारित है।**

6. निबंधन व शर्तें

1. करार की अवधि, निष्पादन के आधार पर कम से कम 2 वर्ष केलिए होगी और आपसी सहमति पर बढ़ाया जा सकता है।

2. काम सौंपने से पहले बोर्ड द्वारा सर्वेक्षकों की अवसंरचना सुविधाओं और मानवशक्ति का मूल्यांकन किया जाएगा।

3. स्पाइसेस बोर्ड समय समय पर, अपने विवेक के अनुसार, आवश्यकता के अनुरूप

किसी भी जगह पर एक या एक से अधिक नमूनन एजेंसी को लगा सकता है या बिना कोई नोटिस दिए किसी भी समय पर किसी भी नमूनन एजेंसी की सेवाएं बंद करने का निर्णय ले सकता है।

4. एजेंसी द्वारा नमूने का संग्रह न किए जाने या अपरिहार्य घटना के बावजूद भी नमूनन व भराई में देरी करने से, हस्ताक्षर करने के दौरान सहमत दर पर जुर्माना लगेगा।

5. यदि बोर्ड का विचार है कि किसी विशेष क्षेत्र के लिए एक से अधिक एजेंसी की आवश्यकता है, तो उस क्षेत्र के लिए एक से अधिक एजेंसी को ठेका प्रदान किया जा सकता है, बशर्ते कि एल2, एल3 या एल4, एल1 की कीमत के लिए सहमत होने के लिए तैयार हों। यदि दो एजेंसियों को किसी विशेष क्षेत्र के लिए ठेका प्रदान किया जाता है, तो नमूनन और भराई कार्य दो एजेंसियों के बीच बांटा जाएगा।

6. निर्यातक समर्थन प्रणाली (ईएसएस), एक ऑनलाइन वेब आधारित प्रणाली, को नमूनन और भराई के पर्यवेक्षण केलिए कार्यान्वित किया गया है। किसी भी प्रकार से सिस्टम के खराब होने पर, ऑफ-लाइन प्रचालन पर विचार किया जाएगा, लेकिन बाद में ऑनलाइन में अद्यतन किया जाएगा।

7. *बोर्ड वेबसाइट से प्रक्रियाओं के फोटो/वीडियो सहित ज़रूरी सूचनाओं के ऑनलाइन अद्यतन केलिए नमूनन/ भराई हेतु एक मोबाइल एप्लिकेशन का विकास कर रहा है। मोबाइल एप्लिकेशन तैयार होने पर नमूनन/भराई पर्यवेक्षण केलिए नियुक्त फील्ड स्टाफ को बोर्ड की अपेक्षाओं के अनुसार प्रक्रिया की जानकारी लेने केलिए इस एप्लीकेशन का प्रयोग करना होगा ।*

7. बोलियों की प्रस्तुति

1. स्पाइसेस बोर्ड, किसी भी बोलियों/प्रस्तावों को स्वीकार या निरस्त करने का अधिकार रखता है।

2. निविदा भरने की अंतिम तारीख से पहले किसी भी समय स्पाइसेस बोर्ड अपनी पहल पर अथवा संभाव्य बोलीदाताओं के अनुरोध पर स्पष्टीकरण की प्रतिक्रिया में किसी भी कारण से निविदा दस्तावेज में संशोधन कर सकता है।

3. किसी भी संशोधन को स्पाइसेस बोर्ड की वेबसाइट में प्रकाशित करने के उपरांत बोलीदाताओं को सूचित किया गया माना जाएगा और वह उनके लिए बाध्य होगा। स्पाइसेस बोर्ड निविदा भेजने की अंतिम तारीख को बढ़ा भी सकता है।

4. आवेदक को अपनी निविदाएं भेजने से पहले इस निविदा में कोई परिवर्तन अथवा संशोधन की जानकारी के लिए स्पाइसेस बोर्ड की वेबसाइट /एमएसटीसीएल की वेबसाइट देखना होगा।
5. बोली में भाग लेने वाली भारत में पंजीकृत फर्मों को ई-प्रापण पोर्टल के माध्यम से बोली भेजनी होगी जैसेकि नीचे **अनुबंध 1** में अलग से दिया गया है।

8. स्पष्टीकरण

निविदा से संबन्धित किसी भी स्पष्टीकरण केलिए निदेशक(विपणन), स्पाइसेस बोर्ड, मुख्यालय, कोच्ची, फोन नं.-0484-2333610 इ-मेइल: dm.sb-ker@gov.in से संपर्क करें।

9. महत्वपूर्ण अनुदेश

यह स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची का ई-प्रापण क्रियाकलाप है। ई-प्रापण सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड, 225C, ए.जे .सी. बोस रोड, कोलकाता -700020 है। आपसे अनुरोध है कि अपनी ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने से पहले इस निविदा के निबंधन व शर्तों को पढ़ लें। निविदाकार जो दस्तावेजी प्रमाण के साथ शर्तों का अनुपालन नहीं करते (जहां भी आवश्यक हो) निविदा की मूल्य बोली खोलने के लिए पात्र नहीं होंगे। ई-निविदा में भाग लेने के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया **अनुबंध-2** देखें।

1	निविदा का तरीका	इ-प्रापण प्रणाली (ऑनलाइन भाग 1- एमएसटीसी के https://www.mstcecommerce.com/eprochome/spiceb के जरिए तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II- मूल्य बोली
2	लेनदेन शुल्क टिप्पणी : कृपया ध्यान रखें कि विक्रेता ऑनलाइन इ-निविदा तभी देख पाएगा जब उसने एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता के पक्ष में लेनदेन शुल्क का भुगतान कर दिया है	रुपए 1770/- (18% की दर पर जीएसटी सहित) एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता के पक्ष में लेनदेन शुल्क का भुगतान (लेनदेन शुल्क और संबंधित बैंक शुल्क का भुगतान बोलीदाता करेगा)

3	बोली प्रारंभ होने की तारीख और समय	06/05/2019, सायं 05.30 बजे
4	बोली बंद करने की तारीख और समय	27/05/2019, सांय 5.30 बजे
5	बोली खोलने की तारीख और समय	29/05/2019, प्रातः 11.00 बजे

10. बयाना जमा राशि

किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से कोच्ची में देय "Secretary, Spices Board"' के नाम लिए गए डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 5,000/- रूपए के बराबर की बयाना जमा राशि, बोलीदाताओं की ओर से प्रस्तुत की जानी चाहिए। बयाना जमा राशि तीन महीनों तक विधिमान्य होगी।

असफल बोलीदाताओं की बयाना जमा राशि (बिना किसी ब्याज के) निविदा खोलने की तारीख के 45 दिनों के अंदर वापस की जाएगी।

यदि विक्रेता द्वारा अपनी निविदा की विधिमान्यता की अवधि अपनी निविदा वापस लेने या उसका संशोधन किए जाने या निविदा का किसी भी प्रकार अनादर किए जाने की स्थिति में बयाना जमा जब्त किया जाएगा।

बयाना जमा राशि "मसाले व मसाले उत्पादों के परेषण और कंटेनर स्टफिंग की देखरेख के लिए बयाना राशि " उपरिलिखित मोहरबंद लिफाफे में स्पीड पोस्ट/रजिस्ट्रीकृत डाक/दस्ती द्वारा निविदा के समापन-समय से पूर्व निम्नलिखित पते पर पहुंच जानी चाहिएः

निदेशक (विपणन)
स्पाइसेस बोर्ड, सुगंध भवन
एनएच बाइपास, पालारिवट्टम पी ओ, कोच्ची-25

निदेशक (विपणन)

अनुबंध -I

मसालों के निर्यात परेषणों का नमूनन और कंटेनर में भराई का पर्यवेक्षण चलाने केलिए निविदा प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र

(ई-निविदा प्रस्तुत करते समय एकल पीडीएफ फाइल के रूप में समर्थक दस्तावेज़ों को अपलोड किया जाना चाहिए)

जिस क्षेत्र केलिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है:

1	संगठन का नाम और पता टेलीफोन नं.: फैक्स नं.: इ-मेइल: संपर्क व्यक्ति का नाम :	विवरण अपलोड किया जाना है
2	शाखा कार्यालयों का नाम और पता टेलीफोन नं.: फैक्स नं.: इ-मेइल: संपर्क व्यक्ति का नाम :	विवरण अपलोड किया जाना है
3	फर्म का स्थापना-वर्ष	ई-टेंडर जमा करते समय पीएएन और जीएसटी के साथ भागीदारी विलेख/पंजीकरण प्रमाणपत्र या संस्था के बहिर्नियम और अंतर्नियम अपलोड किए जाने है।
4	वार्षिक कुलबिक्री	पिछले तीन मूल्यांकन वर्षों (अर्थात् वर्ष 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19) के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा (सी ए द्वारा प्रमाणित) की प्रति प्रस्तुत की जानी है।
5	क्या गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला है?	यदि है तो चलाई गई जाँच का विवरण अपलोड किया जाना है
6	क्या गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला प्रत्यायित है, अगर है तो, प्रमाणपत्र का प्रमाण	दस्तावेज़ अपलोड किया जाना है।
7	क्या एजेंसी को धारा 2, खंड 1 के अधीन दी गई प्रमाणन अपेक्षाओं को पूरा करता है	यदि हाँ तो कृपया प्रत्यायन प्रमाणपत्र और गुंजाइश अपलोड किया जाना है।

8	प्रत्येक केंद्र के योग्यता-प्राप्त सर्वेक्षकों की संख्या	विवरण अपलोड किया जाना है।
9	फील्ड स्टाफ की योग्यता और फील्ड में उनके सेवा-अनुभव	विवरण अपलोड किया जाना है।
10	आई टी अवसंरचना, फील्ड स्टाफ को प्रदान की गई यात्रा-सुविधा आदि (स्थान वार)	विवरण अपलोड किया जाना है।
11	नमूनन कार्य में अनुभव क) ई यू नमूनन ई सी नं.401/2006 ख) आई एस ओ 948:1980 ग) यू एस एफ डी ए बी ए एन अध्याय 1	विवरण अपलोड किया जाना है।
12	उन ग्राहकों की सूची जिनके लिए आपने सर्वेक्षकों के रूप में काम किया है।	ग्राहकों से प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र सहित विवरण अपलोड किया जाना है।
	जिन निविदाओं का समर्थन नमूनन की विनिर्दिष्ट विधि में फर्म के अनुभव को प्रमाणित करने वाले दस्तावेजों से नहीं हुआ है, उनका निरसन करने का अधिकार बोर्ड को है।	
11	सर्वेक्षक लाइसेन्स का विवरण(यदि उपलब्ध है, तो)	यदि है तो लाइसेस अपलोड किया जाना है।
12	सर्वेक्षकों के लिए ली गई बीमा का प्रकार व टाइप	बीमा पॉलिसी अपलोड किया जाना है।

मूल्य बोली प्रपत्र (ऑनलाइन भरा जाना है)

1 क	आईएसओ 948:1980/ई यू विनियम ई सी 401/2006 के अनुसार नमूनन की दरें	प्रथम नमूनन (रु.)	अतिरिक्त नमूनन (रु)	प्रथम स्टफिंग (रु.)	अतिरिक्त स्टफिंग (रु.)
	i) 50 कि.मी.की शहर सीमा के अंतर्गत ii) 50 कि.मी. की शहर सीमा के ऊपर				
1 ख	यूएसएफडीए बीएएम अध्याय 1 नमूनन विधि के अनुसार सालमोनेलला केलिए नमूनन की दर	प्रथम नमूनन (रु.)	अतिरिक्त नमूनन (रु)	प्रथम स्टफिंग (रु.)	अतिरिक्त स्टफिंग (रु.)
	i) 50 कि.मी. की शहर-सीमा के अंतर्गत ii) 50 कि.मी. की शहर-सीमा के ऊपर				
	*बोर्ड के नामोद्दिष्ट कार्यालयों को नमूनों की सुपुर्दगी (सीधे/कोरियर) केलिए नमूनन चार्ज प्रति लॉट कोट की जानी चाहिए। चार्ज में नमूनों के लिए अपेक्षित निविदा के दायरे की पैरा.4 में बताई गई सारी मदें शामिल होंगी। सेवा-शुल्क का भुगतान अलग से किया जाएगा। कोरियर की पर्ची की प्रस्तुति पर कोरियर-चार्ज का भुगतान भी किया जाएगा।				

1. **इ-निविदा प्रक्रिया**

अ) इस प्रक्रिया में मुफ्त एम एस टी सी इ-प्रोक्यूरमेंट पोर्टल के साथ विक्रेता का रजिस्ट्रीकरण शामिल है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही, विक्रेता अपनी बोली इलेक्ट्रॉनिकी तौर पर प्रस्तुत कर सकता है। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ मूल्य-बोली प्रस्तुत करने केलिए इन्टरनेट द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग किया जाएगा। विक्रेता को श्रेणी III साइनिंग टाइप डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए। विक्रेता द्वारा इन्टरनेट सहित पी सी से बोली लगाने की व्यवस्था स्वयं की जानी है। एम एस टी सी/स्पाइसेस बोर्ड ऐसी व्यवस्था करने के जिम्मेदार नहीं रहेंगे। (बिना डिजिटल हस्ताक्षर के, बोलियों को दर्ज नहीं किया जाएगा।)

विशेष टिप्पणी : मूल्य-बोली और वाणिज्यिक-बोली ऑन-लाइन द्वारा ***http://www. mstcecommerce.com/eprochome/spiceb/buyer_login.jsp*** को प्रस्तुत की जानी है।

1) विक्रेताओं को स्वयं *www. mstcecommerce.com→ e-Procurement→ PSU/ Govtdepts.→ SpicesBoard → Register as Vendor Filling up details and creating own user id and password→ Submit* से ऑनलाइन रजिस्टर करना अपेक्षित है।
2) विक्रेता को रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय उनके द्वारा दिए गए इ-मेइल में अपने रजिस्ट्रीकरण की पुष्टि के साथ सिस्टम जनरेटड मेइल मिल जाएगा। किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया एम एस टी सी/स्पाइसेस बोर्ड से संपर्क करें (इ-निविदा केलिए निर्धारित समय से पूर्व)।

संपर्क व्यक्ति(एम एस टी सी)

1. श्री अर्णब सरकार - मोब: 9986036012 asarkar@mstcindia.co.in
2. श्री रवीन्द्रनाथ - मोब: 7676456095 ravindranathkb@mstcindia.co.in

ख) **सिस्टम अपेक्षा:**

i) विंडोज़ 98/एक्स पी-एस पी 3 व उससे बेहतरीन / विंडोज़ 7 ओपरेटिंग सिस्टम
ii) आई ई -7 और उससे बेहतरीन इन्टरनेट ब्राउसर
iii) साइनिंग टाइप डिजिटल सिग्नेचर
iv) सिस्टम में जे आर ई 8 अपडेट 171 और बेहतरीन सॉफ्टवेयर डाउन्लोड करके इन्स्टाल किया जाना है। *ALL* को एनेबल करने केलिए X कंट्रोल सक्रिय बनाएँ और डिसेबिल करने केलिए पॉप-अप ब्लोकर '*Tools→Internet Options→ custom level*' का प्रयोग करें।

2. 2. (क) तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भाग- I एन आई टी में दिए अनुसार विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर इलेक्ट्रॉनिक तौर पर खोली जाएगी। बोलीदाता इलेक्ट्रॉनिक तौर पर बोली का खोलना देख सकते हैं।

(ख) मूल्य-बोली,भाग II इलेक्ट्रॉनिक तौर पर केवल उन बोलीदाताओं केलिए खोली जाएगी, जिनकी तकनीकी- वाणिज्यिक बोली भाग I स्पाइसेस बोर्ड द्वारा तकनीकी- वाणिज्यिक तौर पर स्वीकार्य पाई जाती है। ऐसे बोलीदाताओं को उनके द्वारा पुष्ट वैध इ-मेइल के ज़रिए भाग I मूल्य बोली को खोलने की तारीख सूचित की जाएगी।

__नोट__:

बोलीदाताओं को अपनी अधिकतम संभाव्य दर बताने की सलाह दी जाती है। सामान्यत: इस पर कोई परक्रामण नहीं होगा, अत: मूल्य-बोली प्रस्तुत करते समय कृपया अपना सबसे प्रतियोगी मूल्य प्रस्तुत करें। फिर भी, वर्तमान विपणी- स्थितियों पर विचार करते हुए यदि न्यूनतम दर संगत पाई जाती है तो,न्यूनतम बोलीदाता को आदेश जारी किया जाएगा और उसके बाद भी दर उच्च मानी जाती है, वर्तमान अनुदेश / मार्ग-निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

3 निविदा की सभी प्रविष्टियों की, बिना किसी अस्पष्टता के ऑन-लाइन तकनीकी व वाणिज्यिक फॉर्मैट में प्रविष्टि की जानी चाहिए।

4 **लेनदेन शुल्क संबंधी विशेष टिप्पणी** : विक्रेता वेंडर लॉग-इन के "*My Menu*" के अंतर्गत "*Transaction Fee Payment*" लिंक का प्रयोग करके लेनदेन-शुल्क का भुगतान करेगा। विक्रेता को *Event dropdown box* से नियत निविदा का चयन करना पड़ता है। विक्रेता को या तो एन ई एफ टी द्वारा नहीं तो ऑनलाइन भुगतान द्वारा भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध है। एन ई एफ टी का चयन किया जाता है तो विक्रेता एक फॉर्म भरकर एक चालान तैयार करेगा। विक्रेता लेनदेन-शुल्क की राशि का भुगतान चालान में कोई परिवर्तन किए बिना, उसमें छपे विवरणों के अनुसार करेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, विक्रेता को अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एम एस टी सी के नामित बैंक

	खाते में भुगतान के एक बार जमा होने पर लेनदेन-शुल्क स्वत: अधिकृत हो जाएगा और विक्रेता को सिस्टम जनित मेइल प्राप्त होगा। **<u>लेनदेन-शुल्क अप्रतिदेय है</u>** लेनदेन-शुल्क का भुगतान किए बिना विक्रेता ऑनलाइन इ-निविदा नहीं प्राप्त कर सकता है । **नोट:** विक्रेताओं को निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पूर्व बहुत पहले ही लेनदेन-शुल्क का भुगतान करना चाहिए, जैसे कि एम एस टी सी द्वारा लेनदेन-शुल्क की प्राप्ति के बाद ही बोली प्रस्तुत करने केलिए उनको सक्रिय किया जाएगा। **संपर्क** : फैक्स नं : 033-22831002 इ-मेइल आई ड़ी : rpradhan@mstcindia.co.in बोलीदाता यह नोट करें कि लेनदेन-शुल्क बोलीदाता के खाते से उनके नामे जमा किया जाना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा या उसके खाते से उसके नामे जमा किया गया लेनदेन-शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेनदेन-शुल्क अप्रतिदेय है। यदि किसी कारणवश लेनदेन-शुल्क का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में, विक्रेता उस अवधि में, ऑनलाइन इ-निविदा प्राप्त नहीं कर पाएगा।
5	विक्रेताओं को डोक्यूमेंट लाइब्ररी में दस्तावेज़ अपलोड करने केलिए ***My Menu*** के ***Upload Documents*** लिंक का इस्तेमाल करने का अनुदेश दिया जाता है। एकाधिक दस्तावेज़ अपलोड किया जा सकता है। अपलोड करने हेतु एकल दस्तावेज़ का अधिकतम साइज़ 4 एम बी है। एक बार लाइब्ररी में दस्तावेज़ों को अपलोड किए जाने पर विक्रेताओं को नियत निविदा में ***Attach Document*** के ज़रिए दस्तावेज़ों को जोड़ना चाहिए। आगे सहायता केलिए □□□□□ □□□□ के अनुदेश देखें।
6	स्पाइसेस बोर्ड तथा एम एस टी सी (इ-प्रोक्यूरमेंट सर्वीस प्रोवाइडर) द्वारा निविदा पर अंतिम निर्णय लिए जाने तक की प्रक्रिया के दौरान बोलीदाता(ओं) केलिए सभी सूचना और पत्राचार केवल इ-मेइल द्वारा भेजे जाएंगे। अत: बोलीदाताओं द्वारा यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि उनको दी गई कॉर्पोरेट इ-मेइल आई डी वैध है और एम एस टी सी (अर्थात् सर्वीस प्रोवाइडर) के साथ विक्रेता के रजिस्ट्रीकरण के समय उसे अद्यतन बनाया जाता है। बोलीदाताओं से यह भी अनुरोध है कि वे अपने डी एस सी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) की वैधता सुनिश्चित करें।
7	(i) कृपया नोट करें कि एन आई टी में बताए वेबसाइट से निविदा दस्तावेज़ डाउन्लोड करने वालों की सूची लेने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे निविदा खोलने की नियत तारीख से पहले यह सुनिश्चित करने केलिए एक बार फिर वेबसाइट देखें कि निविदा दस्तावेज़ को डाउन्लोड किए जाने के बाद उक्त निविदा के संदर्भ में कोई शुद्धिपत्र अपलोड किया गया है तो वह चूक नहीं गया है। **संबंधित शुद्धिपत्र यदि कोई है तो उसे डाउन्लोड करने का दायित्व डाउन्लोड करनेवालों का रहेगा।** (ii) इस एन आई टी के किसी शुद्धिपत्र (यदि कोई है) के बारे में कोई अलग सूचना उन बोलीदाता(ओं) को नहीं भेजी जाएगी, जिन्होंने वेबसाइट से दस्तावेज़ों को डाउन्लोड किया है। कृपया एम एस टी सी लिमिटेड का वेबसाइट *http://www.mstcecommerce.com/eprochome/spiceb* देखें।
8	एन आई टी में बताई नियत तारीख और समय के बाद इ-निविदा प्राप्त नहीं की जा सकती है।
9	**इ-निविदा में बोली लगाना और प्रतिवर्ती नीलामी** क) इ-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के पात्र बन जाने केलिए बोलीदाता द्वारा अपेक्षित ई एम ड़ी, निविदा शुल्क (यदि कोई है तो) और लेनदेन- शुल्क प्रस्तुत किया जाना चाहिए। निविदा-शुल्क और लेनदेन-शुल्क अप्रतिदेय हैं। ई एम ड़ी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल बोलीदाता(ओं) को उनकी ई एम डी की प्रतिपूर्ति स्पाइसेस बोर्ड द्वारा की जाएगी। बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पूर्व स्पाइसेस बोर्ड, कोच्ची को ई एम डी वस्तुगत रूप में भेज दी जानी चाहिए। ख) इस प्रक्रिया में तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के साथ-साथ मूल्य-बोली प्रस्तुत करने केलिए इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग शामिल है। इ) उपरोक्त शुल्क प्रस्तुत करने वाले बोलीदाता ही एम एस टी सी वेबसाइट ***www.mstcecommerce.com***→*e-procurement→PSU/Govt Depts → Spices board Login →My menu→ Auction Floor Manager→ live event*

	→*Selection of the live event*→ में इन्टरनेट के ज़रिए अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियाँ और मूल्य-बोलियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। ग) बोलीदाता द्वारा जोखिम उठाते हुए और *on run* क्लिक करके *enApple* नामक एप्लिकेशन को चालू होने दिया जाना चाहिए। *Techno-Commercial bid* पर क्लिक करने के तुरंत बाद लगातार दो बार ऐसा करना चाहिए। यदि एप्लिकेशन चालू नहीं है तो बोलीदाता अपनी बोली "*save/submit*" नहीं कर पाएगा। घ) तकनीकी-वाणिज्यिक बोली भरने के बाद बोलीदाता को अपनी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली दर्ज करने केलिए "*Save*" क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने पर, *price bid* लिंक सक्रिय बन जाता है और उसे भर देना चाहिए और तदुपरान्त बोलीदाता को अपनी मूल्य-बोली दर्ज करने केलिए "*Save*" क्लिक करना चाहिए। इस प्रकार एक बार तकनीकी-वाणिज्यिक बोली व मूल्य-बोली *save* हो जाती हैं, बोलीदाता अपनी बोली रजिस्टर करने केलिए "*submit*" बटन क्लिक कर सकता है। ड.) सभी मामलों में, अपनी बोली प्रस्तुत करते समय बोलीदाता द्वारा डिजिटल सिग्नेचर के साथ अपनी आई डी और पासवर्ड का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। च) पूरी इ-निविदा प्रक्रिया के दौरान, बोलीदाता एक दूसरे केलिए और हर किसी केलिए भी पूर्णत: अज्ञात रहेंगे। छ) इ-निविदा सुविधा इस केलिए पूर्व-घोषित तारीख व समय से और ऊपर बताए अवधि के दौरान उपलब्ध रहेगी। ज) इ-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत की जाने वाली सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियाँ बोलीदाता पर कानूनी तौर पर बाध्यकारी रहेंगी। कोई भी बोली बोलीदाता द्वारा दी गई वैध बोली मानी जाएगी और क्रेता द्वारा उसकी स्वीकृति आपूर्ति केलिए क्रेता और बोलीदाता के बीच एक बाध्यकारी ठेका बनेगी। ऐसे सफल निविदाकार को आगे **आपूर्तिकर्त्ता** कहा जाएगा। झ) सभी बोलियाँ अनिवार्यत: डिजिटल सिग्नेचर प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत की जानी हैं अन्यथा सिस्टम द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ञ) क्रेता निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से, जैसे भी हो, उसका कोई कारण बताए, रद्द या निरस्त या स्वीकार या वापस लेने या बढ़ाने का अधिकार रखता है। ट) निविदा-दस्तावेज़ के निबंधनों व शर्तों से कोई विचलन अनुमत नहीं है। किसी भी बोलीदाता द्वारा इ-निविदा सुविधा में बोली की प्रस्तुति निविदा के निबंधनों व शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि करती है। ठ) मापन-यूनिट[यू ओ एम] इ-निविदा सुविधा में सूचित है। इ-निविदा सुविधा/ निविदा दस्तावेज़ में सूचित यू ओ एम के अनुसार, कोट की जाने की दर भारतीय रुपए में होनी चाहिए।
10	इस मुक्त इ-निविदा के सिलसिले में जारी कोई आदेश उसमें बताए निबंधनों व शर्तों के अनुसार नियंत्रित होगा।
11	तकनीकी व वाणिज्यिक निबंधनों व शर्तों से विचलन अनुमत नहीं है।
12	ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने और एक बार डिजिटल सिग्नेचर के साथ यह प्रस्तुत की गई है, उसके बाद बोलीदाता निविदा प्राप्त नहीं कर सकता।
13	स्पाइसेस बोर्ड , कोच्ची बिना कोई कारण बताए इस इ-निविदा को रद्द करने या बोली(यों) को स्वीकार करने की तारीख बढ़ाने का अधिकार रखता है।
14	ऑनलाइन निविदा एम एस टी सी लिमिटेड के वेबसाइट http://www.mstcecommerce.com/eprochome/spiceb में वास्तव में दिए गए निबंधनों व शर्तों व कार्य-विधि के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए।
15	बोलीदाता अनिवार्यत: एन आई टी के निबंधनों के अनुसार सभी दस्तावेज़ों को अपलोड या संलग्न करें। अन्य किसी भी दस्तावेज़ अपलोड किया गया है, जो एन आई टी के निबंधनों के अनुसार अपेक्षित नहीं है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
16	बोली का मूल्यांकन भरी हुई तकनीकी एवं वाणिज्यिक फॉर्मैटों के आधार पर किया जाएगा ।
17	बोलीदाता(ओं) द्वारा अपलोड व संलग्न किए गए दस्तावेज़ों की संवीक्षा की जाएगी। संवीक्षा के दौरान बोलीदाता द्वारा दी गई कोई भी सूचना गलत पाए जाने के मामले में, चूककर्त्ता बोलीदाता(ओं) की ई एम डी जब्त कर दी जाएगी। चूककर्त्ता बोलीदाता(ओं) के खिलाफ निलंबन या कारबार से रोक जैसी दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।
18	एम एस टी सी के इ-प्रोक्यूरमेंट मार्ग-निर्देशों केलिए विक्रेता नीचे दिए लिंक के पीडीएफ दस्तावेज़ देख सकते हैं: http://www.mstcecommerce.com/eprochome/UserManualVendor.pdf